



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30062021-228033
CG-DL-E-30062021-228033

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 368]
No. 368]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 30, 2021/आषाढ़ 9, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 30, 2021/ASHADHA 9, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2021

सा.का.नि. 458(अ).—केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 184 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिकरण, अपील अधिकरण और अन्य प्राधिकरण (सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2020 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अधिकरण, अपील अधिकरण और अन्य प्राधिकरण (सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और अन्य सेवा शर्तें) (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(3) ये नियम, वित्त अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की आठवीं अनुसूची के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट, यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभाध्यक्ष, उपसभाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, पीठासीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य, विधि सदस्य, राजस्व सदस्य, तकनीकी सदस्य और सदस्य को लागू होंगे।

2. अधिकरण, अपील अधिकरण और अन्य प्राधिकरण (सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2020 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 2 में, खंड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

‘(छ) “खोजबीन-सह-चयन समिति” से वित्त अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 184 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट खोजबीन-सह-चयन समिति अभिप्रेत है;’,

3. मूल नियमों के नियम 4 का लोप किया जाएगा।
4. मूल नियमों के नियम 7 का लोप किया जाएगा।
5. मूल नियमों के नियम 9 का लोप किया जाएगा।
6. मूल नियमों के नियम 15 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

“15. गृह किराया भत्ता— 01 जनवरी, 2021 से अध्यक्ष, सभाध्यक्ष, सभापति, उपाध्यक्ष, उपसभाध्यक्ष, उपसभापति को तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली वास-सुविधा का लाभ उठाने का विकल्प होगा या वह एक लाख पचास हजार रु. प्रति मास की सीमा के अधीन रहते हुए गृह किराया भत्तों के हकदार होंगे तथा पीठासीन अधिकारी और सदस्यों को तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली वास-सुविधा का लाभ उठाने का विकल्प होगा या वह एक लाख पच्चीस हजार रु. प्रति मास की सीमा के अधीन रहते हुए गृह किराया भत्तों के हकदार होंगे।”

7. मूल नियमों की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :--

अनुसूची

(नियम 3 देखिए)

क्रम सं.	अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण का नाम	अध्यक्ष, सभाध्यक्ष, सभापति, उपाध्यक्ष, उपसभाध्यक्ष, उपसभापति, पीठासीन अधिकारी, लेखा सदस्य, प्रशासनिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य या तकनीकी सदस्य अथवा सदस्य की नियुक्ति के लिए अर्हता
(1)	(2)	(3)
1.	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के अधीन औद्योगिक अधिकरण	कोई सदस्य पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा, जब तक,-- (क) वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है, या नहीं रहा है; या (ख) वह, दस वर्ष की संयुक्त अवधि के लिए, जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश नहीं रहा है।
2.	आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन आय-कर अपील अधिकरण	(1) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा, यदि वह किसी उच्च न्यायालय का पीठासीन या सेवानिवृत्त न्यायाधीश नहीं है और जिसने किसी उच्च न्यायालय में या आय-कर अपील अधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में सात वर्ष से अन्यून सेवा नहीं कर ली है। (2) केंद्रीय सरकार आय-कर अपील अधिकरण के एक या अधिक सदस्यों को, यथास्थिति, उसका उपाध्यक्ष या उपाध्यक्ष नियुक्त कर सकेगी। (3) न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए कोई व्यक्ति अर्हित नहीं होगा, जब तक, (क) वह, दस वर्ष की संयुक्त अवधि के लिए, जिला न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश नहीं रहा है; या (ख) वह भारतीय विधिक सेवा का सदस्य नहीं है और उसने अपर सचिव या कोई समतुल्य या उच्च पद दो वर्ष के लिए धारण नहीं किया है; या (ग) वह आय-कर अपील अधिकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में आय-कर विधियों के अधीन मुकदमेंबाजी में सारवान अनुभव के साथ दस वर्ष के लिए अधिवक्ता नहीं रहा है। (4). कोई व्यक्ति लेखा सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा, जब तक, (i) उसने,-- (क) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अधीन चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में; या (ख) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत लेखाकार के रूप में; या भागतः रजिस्ट्रीकृत लेखाकार और भागतः चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में, कम से कम पच्चीस वर्ष लेखाकर्म का व्यवसाय नहीं किया है; या

		(ii) वह भारतीय राजस्व सेवा (आय-कर सेवा समूह 'क') का सदस्य नहीं रहा है और उसने प्रधान आयुक्त आय-कर या किसी समतुल्य या उच्चतर पद कम से कम दो वर्ष तक धारण नहीं किया है और उसने न्यायिक, अर्द्धन्यायिक या न्यायनिर्णयन के कृत्यों का तीन वर्ष की अवधि तक निर्वहन नहीं किया है।
3.	सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण	(1). कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा, जब तक: (क) वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है या नहीं रहा है और जिसने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सात वर्ष से अन्यून की सेवा पूरी नहीं की है ; या (ख) वह अपील अधिकरण का सदस्य नहीं है। (2). कोई सदस्य न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा जब तक,- (क) वह दस वर्ष की संयुक्त अवधि के लिए जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश नहीं रहा है ; या (ख) वह भारतीय विधिक सेवा का सदस्य नहीं है और उसने अपर सचिव या कोई समतुल्य या उच्च पद दो वर्ष के लिए धारण नहीं किया है; या (ग) वह आय-कर अपील अधिकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में आय-कर विधियों के अधीन मुकदमेंबाजी में सारवान अनुभव के साथ दस वर्ष के लिए अधिवक्ता नहीं रहा है। (3) कोई व्यक्ति तकनीकी सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा जब तक वह भारतीय राजस्व (सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क सेवा समूह 'क') का सदस्य न हो और उसने प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क या कोई समतुल्य या उच्चतर पद दो वर्ष के लिए धारण नहीं किया हो और जिसने न्यायिक, अर्द्धन्यायिक या न्यायनिर्णयन के कृत्यों का निर्वहन तीन वर्ष के लिए न किया हो।
4.	तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) के अधीन अपील अधिकरण	(1). अपील अधिकरण का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा है या है। (2). अपील अधिकरण का सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जो भारत सरकार में अपर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो या जो किसी समतुल्य या उच्चतर पद पर दो वर्ष रहा हो और जिसने न्यायिक, अर्द्धन्यायिक या न्यायनिर्णयन के कृत्यों का निर्वहन तीन वर्ष के लिए किया हो।
5.	प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) के अधीन केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण	1. कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित नहीं जब वह,- (i) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है; या (ख) जिसने केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में प्रशासनिक सदस्य या न्यायिक सदस्य के रूप में कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण किया है। (2) (क) कोई व्यक्ति न्यायिक सदस्य के रूप में तभी अर्हित होगा जब :- (i) वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है; या (ii) जिसने भारत सरकार के विधि कार्य विभाग या विधायी विभाग के सचिव, जिसमें भारत के विधि आयोग का सदस्य – सचिव भी है, का पद एक वर्ष तक धारण किया हो; या (iii) जिसने भारत सरकार के विधि कार्य विभाग या विधायी विभाग के अपर सचिव का पद दो वर्ष तक धारण किया हो; या (iv) जो दस वर्ष की संयुक्त अवधि के लिए जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश रहा है। (v) जो दस वर्ष तक अधिवक्ता रहा है और जिसके पास केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, सशस्त्र बल अधिकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में सेवा मामलों की मुकद्देबाजी का पर्याप्त अनुभव है। (ख) प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा, जब जब:- (i) उसने एक वर्ष तक भारत सरकार के सचिव का पद या केन्द्रीय सरकार या

		किसी राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य पद धारण नहीं किया हो और जो एक वर्ष तक ऐसे वेतनमान में रहा हो जो भारत सरकार के सचिव के वेतनमान से कम का न हो; या (ii) उसने भारत सरकार के अपर सचिव का पद या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य पद दो वर्ष तक धारण किया हो और दो वर्ष की अवधि के लिए ऐसे पद के वेतनमान में रहा हो जो भारत सरकार के अपर सचिव के वेतनमान से कम का न हो: परंतु अखिल भारतीय सेवा के ऐसे अधिकारी, जो किसी निम्नतर पद की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे या हैं, ऐसी तारीख से, यथास्थिति, सचिव या अपर सचिव का पद धारण किए हुए समझे जाएंगे जिसको ऐसे अधिकारियों को यथास्थिति, सचिव या अपर सचिव के स्तर की प्रोफार्मा प्रोन्नति या वास्तविक प्रोन्नति, जो भी पहले हो, प्रदान की गई थी, और ऐसी तारीख के पश्चात् केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई अवधि इस खंड के प्रयोजन के लिए अर्हक सेवा के लिए गिनी जाएगी।
6.	रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 54) के अधीन रेल दावा अधिकरण।	(1) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह,- (क) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है; या (ख) यथास्थिति, उपाध्यक्ष, न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य के रूप में कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए पद-धारण किया है। (2) कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष (न्यायिक) के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह, - (क) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है; या (ख) भारतीय विधिक सेवा का सदस्य रहा है और मुकदमें बाजी का दस वर्ष का अनुभव रखता है तथा दो वर्ष के लिए अपर सचिव का पद या कोई समतुल्य या कोई उच्चतर पद धारण किया है; या (ग) दो वर्ष तक कोई सिविल न्यायिक पद धारण किया है, जिसका वेतनमान भारत सरकार के अपर सचिव के वेतनमान से कम का नहीं है; या (घ) न्यायिक सदस्य के रूप में तीन वर्ष से अन्यून अवधि के लिए पद धारण किया है। (3) कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष (तकनीकी) के रूप में नियुक्ति के तभी अर्हित होगा जब,- (क) उसने तीन वर्ष का कम से कम अवधि के लिए तकनीकी सदस्य के रूप में पद धारण किया हो; या (ख) रेल प्रशासन के अधीन दो वर्ष के लिए ऐसा पद धारण किया है जिसका वेतनमान भारत सरकार के अपर सचिव के वेतनमान से कम नहीं है और जिसे रेल से सम्बन्धित दावों और वाणिज्यिक विषयों के नियमों और प्रक्रिया का पर्याप्त ज्ञान है और इनमें पर्याप्त अनुभव रखता है। (4) कोई व्यक्ति न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह,- (क) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, या रहा है; या (ख) जो दस वर्ष की संयुक्त अवधि के लिए जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश रहा है; या (ग) जो दस वर्ष तक ऐसा अधिवक्ता रहा है जिसके पास रेल दावा अधिकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जीवन और संपत्ति को नुकसान से संबंधित दावा निपटान में मुकदमेबाजी का पर्याप्त अनुभव है। (5) कोई व्यक्ति तकनीकी सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा, जब वह योग्य और ईमानदार तथा अनुभवी व्यक्ति है और रेल से सम्बन्धित दावों और वाणिज्यिक विषयों के नियमों और प्रक्रिया का विशेष ज्ञान रखता हो और उनमें कम से कम पच्चीस वर्ष का अनुभव रखता हो।

7.	भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन प्रतिभूति अपील अधिकरण	1. कोई व्यक्ति प्रतिभूति अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी या न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह,- (क) पीठासीन अधिकारी के मामले में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है; (ख) न्यायिक सदस्य के मामले में, -- (i) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है; या (ii) दस वर्ष तक ऐसा अधिवक्ता रहा हो और जो भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड, प्रतिभूति अपील अधिकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष वित्तीय सेक्टर से संबंधित मामलों में मुकदमेबाजी का पर्याप्त अनुभव रखता हो। (ग) तकनीकी सदस्य के मामले में- (i) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग में दो वर्ष के लिए अपर सचिव या सचिव है या रहा है या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में कोई समतुल्य पद धारण किया है या कर रहा है; या (ii) साबित योग्यता, ईमानदारी और अनुभव वाला व्यक्ति है और जिसको वित्तीय सेक्टरों, जिनके अन्तर्गत प्रतिभूति बाजार या पेंशन निधि या वस्तु व्युत्पन्न या बीमा भी हैं, में विशेष ज्ञान रखता है और उनमें कम से कम पच्चीस वर्ष का वृत्तिक अनुभव रखता हो। 2. बोर्ड या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण या पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण का कोई सदस्य या अंशकालिक सदस्य या बोर्ड में या ऐसे प्राधिकरणों में कार्यपालक निदेशक के समतुल्य ज्येष्ठ प्रबंध स्तर पर कोई व्यक्ति, अपनी सेवा या कार्यकाल के दौरान प्रतिभूति अपील अधिकरण का पीठासीन अधिकारी या सदस्य के रूप में, यथास्थिति, ऐसे बोर्ड में या ऐसे में प्राधिकरणों के उस रूप में या उस तारीख से, जिसको वह बोर्ड में या ऐसे प्राधिकरणों में उस रूप में पद पर नहीं रह जाता है, से दो वर्ष के भीतर नियुक्त नहीं किया जाएगा। (3) प्रतिभूति अपील अधिकरण का पीठासीन अधिकारी या सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं रखता है जिससे पीठासीन अधिकारी या सदस्य के रूप में उनके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।
8.	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) के अधीन ऋण वसूली अधिकरण	कोई व्यक्ति ऋण वसूली अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब तक वह, जिला न्यायाधीश है या रहा है-
9.	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) के अधीन ऋण वसूली अपील अधिकरण	कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह,- (क) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है; या (ख) भारतीय विधिक सेवा का सदस्य रहा है और जिसके पास मुकदमेबाजी का दस वर्ष का अनुभव है और दो वर्ष के लिए अपर सचिव का पद या कोई समतुल्य पद या कोई उच्चतर पद धारण किया है; या (ग) ऋण वसूली अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में तीन वर्ष तक पद धारण किया है।
10.	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) के अधीन दूरसंचार विवाद निपटान और अपील अधिकरण	कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह,- (क) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है; या (ख) किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है। (2) कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह योग्य, ईमानदार और अनुभवी व्यक्ति है और अर्थशास्त्र, कारबार, वाणिज्य, विधि, वित्त, लेखाकर्म, प्रबंध, उद्योग, लोक कार्य-कलाप, प्रशासन, दूरसंचार या किसी अन्य मामले, जो दूरसंचार विवाद निपटान और अपील अधिकरण के लिए उपयोगी है, का विशेष ज्ञान रखता हो और उनका पच्चीस वर्ष से अन्यून अवधि के लिए वृत्तिक अनुभव रखता हो।

11.	कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण	(1) अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है। (2) न्यायिक सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जो – (क) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है; या (ख) पांच वर्ष के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण का न्यायिक सदस्य है; या (ग) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष कम्पनी मामलों से संबंधित विषयों में मुकदमों में 10 वर्ष के पर्याप्त अनुभव वाला अधिवक्ता रहा है। (3) तकनीकी सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा, जिसके पास सिद्ध योग्यता, ईमानदारी और अनुभव है तथा जिसके पास विधि, औद्योगिक वित्त, औद्योगिक प्रबंध या प्रशासन, औद्योगिक पुनर्संनिर्माण, विनिधान, लेखाकर्म, या किसी ऐसे अन्य विषय में, जो राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के लिए उपयोगी है, के विशेष ज्ञान और कम से कम पच्चीस वर्ष का वृत्तिक अनुभव है।
12.	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) के अधीन राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग	(1). कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा जब तक, - (क) वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है या नहीं रहा है; या (ख) वह किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नहीं है या नहीं रहा है ; (2) कोई व्यक्ति सदस्य की नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा, जब तक,-- (क) वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है या नहीं रहा है ; या (ख) वह दस वर्ष की संयुक्त अवधि के लिए जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश नहीं रहा है ; या (ग) वह योग्य, ईमानदार और अनुभवी व्यक्ति नहीं है, जिसके पास अर्थशास्त्र, कारबार, वाणिज्य, विधि, वित्त, लेखाकर्म, प्रबंध, उद्योग, लोक कार्य, प्रशासन में या किसी ऐसे अन्य विषय में जो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग के लिए उपयोगी है, विशेष ज्ञान और कम से कम पच्चीस वर्ष का वृत्तिक अनुभव नहीं है।
13.	विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के अधीन विद्युत अपील अधिकरण	(1) कोई व्यक्ति अपील अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा जब तक,-- (क) वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है या नहीं रहा है ; या (ख) वह किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नहीं है या नहीं रहा है । (2) कोई व्यक्ति न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा जब तक,-- (क) वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है या नहीं रहा है ; या (ख) वह दस वर्ष की संयुक्त अवधि के लिए जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश नहीं रहा है ; या (ग) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, राज्य विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अपील अधिकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष विद्युत सेक्टर से संबंधित विषयों में मुकदमों में 10 वर्ष के पर्याप्त अनुभव वाला अधिवक्ता रहा है। (3) कोई व्यक्ति तकनीकी सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा जब तक वह योग्य, ईमानदार और अनुभवी व्यक्ति नहीं है, जिसके पास विद्युत जनन, पारेषण, वितरण, विनियमन, अर्थशास्त्र, कारबार, वाणिज्य, विधि, वित्त, लेखाकर्म, प्रबंध, उद्योग, लोक कार्य, प्रशासन में या किसी ऐसे अन्य विषय में जो अपील अधिकरण के लिए उपयोगी है, विशेष ज्ञान और कम से कम पच्चीस वर्ष का वृत्तिक अनुभव नहीं है।
14.	सशस्त्र बल अधिनियम, 2007 (2007 का 55) के अधीन सशस्त्र बल अधिकरण	(1) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा जब तक,-- (क) वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है या नहीं रहा है ; या

		(ख) किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नहीं है या नहीं रहा है। (2) कोई व्यक्ति न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा जब तक - (क) वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है या नहीं रहा है ; या (ख) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, सशस्त्र बल अधिकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष सेवा मामलों में मुकदमों में 10 वर्ष के पर्याप्त अनुभव वाला अधिवक्ता रहा है। (3) कोई व्यक्ति प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा जब तक,-- (क) उसने तीन वर्ष की कुल अवधि के लिए सेना में मेजर जनरल या उससे ऊपर का या नौसेना या वायु सेना में समतुल्य रैंक का पद धारण नहीं किया है या धारण नहीं कर रहा है ; या (ख) उसने सेना या नौसेना या वायु सेना में एक वर्ष से अन्यून अवधि के लिए जज एडवोकेट जनरल के रूप में सेवा नहीं की है और वह क्रमशः मेजर जनरल, कोमोडोर और एयर कोमोडोर की पंक्ति से निम्न पंक्ति का नहीं है ; या (ग) वह योग्य, ईमानदार और अनुभवी व्यक्ति नहीं है, जिसके पास अर्थशास्त्र, कारबार, वाणिज्य, विधि, वित्त, लेखाकर्म, प्रबंध, उद्योग, लोक कार्य, प्रशासन में या किसी ऐसे अन्य विषय में जो सशस्त्र बल अधिकरण के लिए उपयोगी है, विशेष ज्ञान और तीस वर्ष से अन्यून का वृत्तिक अनुभव नहीं है।
15.	राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) के अधीन राष्ट्रीय हरित अधिकरण	(1) कोई व्यक्ति, अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा जब तक,-- (क) वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है या नहीं रहा है ; या (ख) किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नहीं है या नहीं रहा है। (2) कोई व्यक्ति न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा जब तक,-- (क) वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है या नहीं रहा है ; या (ख) दस वर्ष की संयुक्त अवधि के लिए जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश नहीं रहा है ; या (ग) राष्ट्रीय हरित अधिकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में पर्यावरण और वन से संबंधित मामलों में मुकदमों में 10 वर्ष के पर्याप्त अनुभव वाला अधिवक्ता रहा है। (3) कोई व्यक्ति विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा जब तक,-- (क) उसके पास विज्ञान में स्नातक डिग्री या स्नातकोत्तर डिग्री या डाक्टरेट डिग्री न हो तथा सुसंगत क्षेत्र में पच्चीस वर्ष का अनुभव न हो, जिसमें पर्यावरण और वन (जिसके अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण, परिसंकटमय पदार्थ प्रबंध, पर्यावरण समाघात निर्धारण, जलवायु परिवर्तन प्रबंध, जैविक विविधता प्रबंध और वन संरक्षण भी है) के क्षेत्र में किसी सुविख्यात राष्ट्रीय स्तर की संस्था में पांच वर्ष का व्यवहारिक अनुभव भी है ; या (ख) उसके पास पच्चीस वर्ष का प्रशासनिक अनुभव न हो, जिसमें पांच वर्ष का ऐसा अनुभव भी है, जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या सुविख्यात राष्ट्रीय या राज्य स्तर की संस्था में पर्यावरण विषयों से संबंधित हो।

[फा.सं.ए-50050/9/2016-प्रशा.1ग(सीईएसटीएटी). पी.टी1]

ऋत्विक् पांडेय, संयुक्त सचिव

टिप्पण मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड () में अधिसूचना सा.का.नि. 109(अ), तारीख 12 फरवरी, 2020 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

स्पष्टीकारक ज्ञापन

इन नियमों का खंड 6 जो मूल नियमों के नियम 15 का संशोधन करता है, माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय के रिट याचिका (सिविल) सं. 2020 की 804 में दिए गए निर्णय को प्रभावी करने के लिए, तारीख 1 जनवरी, 2021 से नियम 15 को भूतलक्षी प्रभाव देता है।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th June, 2021

G.S.R. 458(E).—In exercise of the powers conferred by section 184 of the Finance Act, 2017 (7 of 2017), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Tribunal, Appellate Tribunal and other Authorities (Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members) Rules, 2020, namely: -

1. Short title, commencement and application.— (1) These rules may be called the Tribunal, Appellate Tribunal and other Authorities (Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members) (Amendment) Rules, 2021.

(2) Save as provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) These rules shall apply to the Chairman, Vice-Chairman, Chairperson, Vice-Chairperson, President, Vice-President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member, Law Member, Revenue Member, Technical Member, Member of the Tribunal, Appellate Tribunal or, as the case may be, Authority as specified in column (2) of the Eighth Schedule to the Finance Act, 2017 (7 of 2017).

2. In the Tribunal, Appellate Tribunal and other Authorities (Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members) Rules, 2020 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 2, for clause (g), the following clause shall be substituted, namely:-

‘(g) “Search-cum-Selection Committee” means the Search-cum-Selection Committee referred to in sub-section (3) of section 184 of the Finance Act, 2017 (Act 7 of 2017);’,

3. In the principal rules, rule 4 shall be omitted.

4. In the principal rules, rule 7 shall be omitted.

5. In the principal rules, rule 9 shall be omitted.

6. In the principal rules, for rule 15, the following rule shall be substituted, namely:-

“15. House rent allowance.— With effect from the 1st January, 2021, the Chairman, Chairperson, President, Vice Chairman, Vice Chairperson or Vice President shall have option to avail of accommodation to be provided by the Central Government as per the rules for the time being in force or entitled to house rent allowance subject to a limit of Rs. one lakh fifty thousand rupees per month and the Presiding Officers and Members shall have option to avail of accommodation to be provided by the Central Government as per the rules for the time being in force or entitled to house rent allowance subject to a limit of Rs. one lakh twenty-five thousand rupees per month.”

7. In the principal rules, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

SCHEDULE**(See rule 3)**

Sl. No.	Name of Tribunal, Appellate Tribunal or Authority.	Qualification for appointment of Chairperson, Chairman, President, Vice-Chairperson, Vice-Chairman, Vice-President, Presiding Officer, Accountant Member, Administrative Member, Judicial Member, Expert Member or Technical Member or Member.
(1)	(2)	(3)
1.	Industrial Tribunal under the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947)	A person shall not be qualified for appointment as Presiding Officer, unless he,— (a) is, or has been, a Judge of a High Court; or (b) has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge.
2.	Income-tax Appellate Tribunal under the Income-tax Act, 1961(43 of 1961)	(1) A person shall not be qualified for appointment as President unless he is a sitting or retired Judge of a High Court and who has completed not less than seven years of service as a Judge in a High Court or a Vice-President of the Income-tax Appellate Tribunal. (2) The Central Government may appoint one or more members of the Income-tax Appellate Tribunal to be the Vice-President or, as the case may be, Vice-Presidents thereof. (3) A person shall not be qualified for appointment as a Judicial Member, unless,— (a) he has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge; or (b) he has been a member of the Indian Legal Service with ten years of experience in litigation and has held a post of Additional Secretary or any equivalent or higher post for two years; or (c) he has been an advocate for ten years with substantial experience in litigation under Income-tax laws in Income-tax Appellate Tribunal, High Court or Supreme Court. (4) A person shall not be qualified for appointment as an Accountant Member, unless, — (i) he has for twenty-five years been in the practice of accountancy, - (a) as a chartered accountant under the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949); or (b) as a registered accountant under any law formerly in force; or partly as such registered accountant and partly as a chartered accountant; or (ii) he has been a member of the Indian Revenue Service (Income-tax Service Group 'A') and has held the post of Principal Commissioner of Income-tax or any equivalent or higher post for two years and has performed judicial, quasi-judicial or adjudicating function for three years.
3.	The Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal under the Customs Act, 1962(52 of 1962)	(1) A person shall not be qualified for appointment as President unless, — (a) he is or has been a Judge of a High Court and who has completed not less than seven years of service as a Judge in a High Court; or

		(b) he is the member of the Appellate Tribunal. (2) A person shall not be qualified for appointment as a Judicial Member, unless, — (a) he has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge; or (b) he has been a member of the Indian Legal Service with ten years of experience in litigation and has held a post of Additional Secretary or any equivalent or higher post for two years; or (c) he has been an advocate for ten years with substantial experience in litigation under indirect tax laws in Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal, High Court or Supreme Court. (3) A person shall not be qualified for appointment as a Technical Member unless he has been a member of the Indian Revenue Service (Customs and Central Excise Service Group 'A') and has held the post of Principal Commissioner of Customs or Central Excise or any equivalent or higher post for two years and has performed judicial, quasi-judicial or adjudicating function for three years.
4.	Appellate Tribunal under the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (13 of 1976)	(1) The Chairman of the Appellate Tribunal shall be a person who is or has been a Judge of a Supreme Court or a Chief Justice of a High Court. (2) The Member of the Appellate Tribunal shall be a person not below the rank of Additional Secretary to the Government of India or any equivalent or higher post for two years and has performed judicial, quasi-judicial or adjudicating function for three years.
5.	Central Administrative Tribunal under the Administrative Tribunal Act, 1985 (13 of 1985).	(1) A person shall not be qualified for appointment as the Chairman, unless he, — (a) is, or has been, a Judge of a High Court; or (b) has, for a period of not less than three years, held office as Administrative Member or Judicial Member in the Central Administrative Tribunal; (2) A person shall not be qualified for appointment,— (a) as a Judicial Member, unless he,— (i) is, or has been, a Judge of a High Court; or (ii) has, for one year, held the post of Secretary to the Government of India in the Department of Legal Affairs or the Legislative Department including Member –Secretary, Law Commission of India; or (iii) has, for two years, held a post of Additional Secretary to the Government of India in the Department of Legal Affairs or Legislative Department; or (iv) has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge; or (v) has, for ten years, been an advocate with substantial experience in litigation in service matters in Central Administrative Tribunal, Armed Forces Tribunal, High Court or Supreme Court.

		(b) as an Administrative Member, unless he, - (i) has, for one year, held the post of Secretary to the Government of India or any other post under the Central Government or a State Government and carrying the scale of pay which is not less than that of a Secretary to the Government of India for one year; or (ii) has, for two years, held a post of Additional Secretary to the Government of India, or any other post under the Central or State Government carrying the scale of pay which is not less than that of Additional Secretary to the Government of India for a period of two years: Provided that the officers belonging to the All-India services who were or are on Central deputation to a lower post shall be deemed to have held the post of Secretary or Additional Secretary, as the case may be, from the date such officers were granted proforma promotion or actual promotion whichever is earlier to the level of Secretary or Additional Secretary, as the case may be, and the period spent on Central deputation after such date shall count for qualifying service for the purpose of this clause.
6.	Railway Claims Tribunal under the Railway Claims Tribunal Act, 1987 (54 of 1987)	(1) A person shall not be qualified for appointment as the Chairman, unless he, - (a) is, or has been, a Judge of a High Court; or (b) has, for a period of not less than three years, held office as Vice-Chairman, Judicial Member or Technical Member, as the case may be. (2) A person shall not be qualified for appointment as the Vice-Chairman (Judicial), unless he, - (a) is, or has been, a Judge of a High Court; or (b) has been a member of the Indian Legal Service with ten years of experience in litigation and has held a post of Additional Secretary or any equivalent or any higher post for two years; or (c) has, for two years, held a civil judicial post carrying a scale of pay which is not less than that of an Additional Secretary to the Government of India; or (d) has, for a period of not less than three years, held office as a Judicial Member. (3) A person shall not be qualified for appointment as the Vice-Chairman (Technical), unless he, - (a) has, for a period of not less than three years, held office as a Technical Member; or (b) has, for two years, held a post under a railway administration carrying a scale of pay which is not less than that of an Additional Secretary to the Government of India and has adequate knowledge of rules and procedure of, and experience in, claims and commercial matters relating to railways. (4) A person shall not be qualified for appointment as a Judicial Member, unless he, -

		(a) is, or has been, a Judge of a High Court; or (b) has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge; or (c) has been an advocate for ten years with substantial experience in litigation in claim settlements pertaining to damage to life and property in Railway Claims Tribunal, High Court or Supreme Court. (5) A person shall not be qualified for appointment as a Technical Member unless he is a person of ability, integrity and standing having special knowledge of rules and procedure of, and experience in, claims and commercial matters relating to railways of not less than twenty-five years.
7.	Securities Appellate Tribunal under the Securities Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992)	(1) A person shall not be qualified for appointment as the Presiding Officer or a Judicial Member or a Technical Member of the Securities Appellate Tribunal, unless he, — (a) in the case of the Presiding Officer, is, or has been, a Judge of the Supreme Court or a Chief Justice of a High Court; (b) in the case of a Judicial Member, — (i) is, or has been, a Judge of a High Court; or (ii) has been an advocate for ten years with substantial experience in litigation in matters relating to financial sector before Securities Exchange Board of India, Securities Appellate Tribunal, High Court or Supreme Court. (c) in the case of a Technical Member, — (i) is, or has been, an Additional Secretary for two years or Secretary in the Ministry or Department of the Central Government or any equivalent post in the Central Government or a State Government; or (ii) is a person of proven ability, integrity and standing having special knowledge and professional experience, of not less than twenty-five years, in financial sectors including securities market or pension funds or commodity derivatives or insurance. (2) A Member or Part time Member of the Board or the Insurance Regulatory and Development Authority or the Pension Fund Regulatory and Development Authority, or any person at senior management level equivalent to Executive Director in the Board or in such Authorities, shall not be appointed as Presiding Officer or Member of the Securities Appellate Tribunal, during his service or tenure as such with the Board or with such Authorities, as the case may be, or within two years from the date on which he ceases to hold office as such in the Board or in such Authorities. (3) The Presiding Officer or Member of the Securities Appellate Tribunal shall be a person who does not have any financial or other interest as are likely to prejudicially affect their functions as such Presiding Officer or Member.
8.	Debts Recovery Tribunal under the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993)	A person shall not be qualified for appointment as Presiding Officer of the Debts Recovery Tribunal, unless he, is, or has been, a District Judge.

9.	Debts Recovery Appellate Tribunal under the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993)	A person shall not be qualified for appointment as Chairperson, unless he, — (a) is, or has been, a Judge of a High Court; or (b) has been a member of the Indian Legal Service with ten years of experience in litigation and has held a post of Additional Secretary or any equivalent or any higher post for two years; or (c) has held office as the Presiding Officer of a Debts Recovery Tribunal for three years.
10.	Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal under the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997)	(1) A person shall not be qualified for appointment as Chairperson, unless he, — (a) is, or has been, a Judge of Supreme Court; or (b) is, or has been, Chief Justice of a High Court. (2) A person shall not be qualified for appointment as Member unless he is a person of ability, integrity and standing having special knowledge of, and professional experience of, not less than twenty-five years in economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration, telecommunications or any other matter which is useful to the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal.
11.	National Company Law Appellate Tribunal under the Companies Act, 2013 (18 of 2013).	(1) The Chairperson shall be a person who is or has been a Judge of the Supreme Court or the Chief Justice of a High Court. (2) A Judicial Member shall be a person who is — (a) is or has been a Judge of a High Court; or (b) is a Judicial Member of the National Company Law Tribunal for five years; or (c) has been an advocate for ten years with substantial experience in litigation in matters relating to company affairs before National Company Law Tribunal, National Company Law Appellate Tribunal, High Court or Supreme Court. (3) A Technical Member shall be a person of proven ability, integrity and standing having special knowledge and professional experience, of not less than twenty-five years, in law, industrial finance, industrial management or administration, industrial reconstruction, investment, accountancy or any other matter which is useful to the National Company Law Appellate Tribunal.
12.	National Consumer Disputes Redressal Commission under the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019)	(1) A person shall not be qualified for appointment as President, unless he, — (a) is, or has been, a Judge of the Supreme Court; or (b) is, or has been, Chief Justice of a High Court. (2) A person shall not be qualified for appointment as Member unless he,— (a) is, or has been, a Judge of a High Court; or (b) has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge; or (c) is a person of ability, integrity and standing, and having special knowledge of, and professional experience of not less than twenty-five years in economics, business, commerce, law,

		finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration or any other matter which is useful to the National Consumer Disputes Redressal Commission.
13.	Appellate Tribunal for Electricity under the Electricity Act, 2003 (36 of 2003).	(1) A person shall not be qualified for appointment as Chairperson of the Appellate Tribunal, unless he, — (a) is, or has been, a Judge of Supreme Court; or (b) is, or has been, Chief Justice of a High Court. (2) A person shall not be qualified for appointment as Judicial Member, unless, he— (a) is, or has been, a Judge of a High Court; or (b) has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge; or (c) has been an advocate for ten years with substantial experience in litigation in matters relating to power sector before Central Electricity Regulatory Commission, State Electricity Regulatory Commission, Appellate Tribunal for Electricity, High Court or Supreme Court. (3) A person shall not be qualified for appointment as Technical Member unless he is a person of ability, integrity and standing having special knowledge of, and professional experience of, not less than twenty-five years in matters dealing with electricity generation, transmission, distribution, regulation, economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration or in any other matter which is useful to the Appellate Tribunal.
14.	Armed Forces Tribunal under the Armed Forces Act, 2007 (55 of 2007)	(1) A person shall not be qualified for appointment as Chairperson, unless, he, - (a) is, or has been, a Judge of Supreme Court; or (b) is or has been a Chief Justice of a High Court. (2) A person shall not be qualified for appointment as Judicial Member unless he is- (a) is, or has been, a Judge of a High Court; or (b) has, for ten years, been an advocate with substantial experience in litigation in service matters in Central Administrative Tribunal, Armed Forces Tribunal, High Court or Supreme Court. (3) A person shall not be qualified for appointment as Administrative Member, unless he, - (a) has held or has been holding the rank of Major General or above for a total period of three years in the Army or equivalent rank in the Navy or the Air Force; or (b) has served for not less than one year as Judge Advocate General in the Army or the Navy or the Air Force, and is not below the rank of Major General, Commodore and Air Commodore respectively; or (c) is a person of ability, integrity and standing having special knowledge of, and professional experience of not less than thirty years in, economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration or in any other matter useful to the Armed Forces Tribunal.

15.	National Green Tribunal under the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010)	(1) A person shall not be qualified for appointment as Chairperson, unless he, – (a) is, or has been, a Judge of Supreme Court; or (b) is, or has been, Chief Justice of a High Court. (2) A person shall not be qualified for appointment as Judicial Member, unless he, – (a) is, or has been, a Judge of a High Court; or (b) has, for a combined period of ten years, been a District Judge and Additional District Judge; or (c) has, for ten years, been an advocate with substantial experience in litigation in matters relating to environment and forest in National Green Tribunal, High Court or Supreme Court. (3) A person shall not be qualified for appointment as Expert Member, unless he, – (a) has a degree or Post-graduation degree or Doctorate Degree in Science and has an experience of twenty-five years in the relevant field including five years' practical experience in the field of environment and forests (including pollution control, hazardous substance management, environment impact assessment, climate change management, biological diversity management and forest conservation) in a reputed National level institution; or (b) has administrative experience of twenty years including experience of five years in dealing with environmental matters in the Central Government or a State Government or in a reputed National or State level institution.
-----	--	---

[F. No. A.50050/9/2016-Ad.1C (CESTAT) (Pt-1)]

RITVIK PANDEY, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(i) vide G.S.R. 109(E) dated the 12th February, 2020.

Explanatory Memorandum

Clause 6 of these rules, which amends rule 15 of the principal rules, gives retrospective operation of rule 15 with effect from the 1st January, 2021, in order to give effect to the judgment of the Hon'ble Supreme Court of India in W.P(C) No. 804 of 2020. It is certified that no person is adversely affected by giving such retrospective operation.